संख्या- 126/2025/1111 बु0वि0नि0/35-1-2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
महोबा।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुन्देलखंड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 में जनपद महोबा की 02 परियोजनाओं पर देय 6% अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 217/सी0-1/अर्थ एवं संख्या/ बु0वि0नि0(रा0)/2025-26, दिनांक 19.08.2025 एवं पत्र संख्या- 69/बु0वि0नि0(राज्यांश)/अ0एवं0सं0/2025-26, दिनांक 07.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में बुन्देलखण्ड विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लोक निर्माण अनुभाग-14 के शासनादेश संख्या- 123/2021/366-23-14-2021-11आ0बु0वि0नि0 /2021,दिनांक 24.03.2021 द्वारा स्वीकृत जनपद महोबा की 02 परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य सुसंगत अभिलेख यथा- मागं प्रपत्र, बचत प्रपत्र, एनेक्जर-2, जियोटैग फोटोग्राफ, निरीक्षण आख्या एवं जी0एस0टी0 गणना शीट आदि उपलब्ध कराते हुये परियोजनाओं हेतु 6% अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित दोनो परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कॉलम संख्या-4 में अंकित धनराशि रू0-440.37लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति कालम संख्या-3 में अंकित शासनादेश दिनांक 24.03.2021 द्वारा पूर्व में प्रदान की गई थी। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं संस्तुति के दृष्टिगत निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में अंकित परियोजनाओं के चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रियान्वयन हेतु कॉलम-10 में अंकित कुल पुनरीक्षित लागत रू0-453.97 लाख (जी0एस0टी0 सहित)के सापेक्ष देय 6% अतिरिक्त जी0एस0टी के रूप में कॉलम-11 में अंकित कुल धनराशि रू0-13.60लाख(रूपये तेरह लाख साठ हजार मात्र) बुन्देलखण्ड विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-83 से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83

क्र	कार्य/मार्ग का नाम	स्वीकृति से सम्बन्धित मूल शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य की स्वीकृति लागत (जी0एस0टी0 सहित)	कार्य की प्रावैधिक लागत (जी0एस0टी0 सहित)	अब तक आवंटन	कार्य के अनुबन्ध की लागत	अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	देय 6 प्रतिशत अतिरिक्त जी0एस0टी धनराशि	6% अतिरिक्त अर्थात 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल पुनरीक्षित	6% अतिरिक्त जी0एस0टी हेतु आवंटित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

									लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रामनारायण के खुडे से चौपड़ा होते हुये सूपा तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(शून्य से लेपन)	शासं0-123/2021/366-23-14-2021-11आ0बु0वि0नि0/2021,दिनांक 24.03.2021	220.66	220.66	188.57	149.84	32.09	6.95	227.61	6.95
2	गौरहारी से विजयपुर अण्डवारा सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण कार्य।(शून्य से लेपन)स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान।	शासं0-123/2021/366-23-14-2021-11आ0बु0वि0नि0/2021,दिनांक 24.03.2021	219.71	202.76	173.66	137.74	29.10	6.65	226.36	6.65
		योग	440.37	423.42	362.23	287.58	61.19	13.60	453.97	13.60

(रूपये तेरह लाख साठ हजार मात्र)

3. यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर किसी अन्य परियोजना पर व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

1. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढ़ंग से पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग न हो। यदि धनराशि का दुरूपयोग होगा तो उसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय, कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाय।
3. आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप में सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में कदापि नही रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
6. परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।
7. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।
8. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाय।
9. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।
10. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।
11. स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2026 तक अवश्य कर लिया जाय तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
12. परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
13. मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।
14. परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थान के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
15. नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0 पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
17. उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।
18. विषयकगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु मूल शासनादेश 123/2021/366-23-14-2021-11आ0बु0वि0नि0/2021,दिनांक 24.03.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समक्षा जाएगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4575 -अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-बुन्देलखंड की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य ''की मद के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

संख्या- 126/2025/1111बु0वि0नि0(1)बु0वि0नि0/35-1-2025,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय,उ0प्र0,प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल ।
8. जिलाधिकारी, महोबा।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, महोबा।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, महोबा।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, महोबा।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in